उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
संख्या–1625(1)/पांच–6–16–डब्लू–5/2002
लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2016

अधिसूचना संख्या–191/2016/1625/पॉच–6–2016–डब्लू–5/2002, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016" निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)
11. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)
13. **निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) (परिनियम आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 500 प्रतियॉ चिकित्सा अनुभाग–6, जनपथ स्थित सचिवालय, षष्टम तल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभाग।
15. विभागीय वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विभाग की वेब साईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

UO-2015

Uttar Pradesh Government
Medical Section-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-191/2016/1625/5-6-2016-W-5/2002 dated, July 11, 2016.

Notification
Miscellaneous.

N0-191/2016/1625/5-6-2016-W-5/2002
Lucknow Dated : 11 July, 2016

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Act no-23 of 2010) the Governor is pleased to make the following rules:

The Uttar Pradesh Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2016

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Application

2. These Rules shall be applicable to such categories of clinical establishments as may be notified from time to time by State Government.

Definitions

3. (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Act' means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010 (Act no 23 of 2010);

(b) 'Rules' means the Clinical Establishments (Central Government) Rules 2016;

(c) "State Council" means the State Council of Clinical Establishment; Uttar Pradesh Established under rule (4).

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

The State Council for Clinical Establishments

4.(1) With effect from such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of the Act a council to be called the State Council of Clinical Establishments Uttar Pradesh.

(a) The Principal Secretary/Secretary, to the Government of Uttar Pradesh in Medical and Health Department who shall be the Chairperson. (ex officio)

(b) The Director-General, Medical and Health Service, Uttar Pradesh who shall be the Secretary.(ex officio)

(c) The Director of every wing of Indian Medical systems, who shall be the Member (ex officio)

(d) One representative each to be elected by the executive committee of-

(i) State Medical Council of India

(ii) State Dental Council of India

(iii) State Nursing Council of India

(iv) State Pharmacy Council of India

(e) Three representatives to be elected by the executive of State Council of Indian medicine representating the Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine,

(f) One representative to be elected by the State Council of the Indian Medical Association,

(g) One representative from the line of paramedical systems,

(h) Two representatives from State level consumer groups of reputed non-Governmental organizations working in the field of health,

(3) The nominated member of the State council, shall hold office for a term of three years, but shall be eligible for re-nominations for maximum of one more term of three years.

(4) The elected members of the State Council, shall hold office for three years, but shall be eligible for re-election;

Provided that the person nominated or elected, as the case may be, shall hold office for so long as he holds the appointment of the office by virtue of which he was nominated or elected to the State Council.

Functions of the State Council

5.(1) The State Council shall perform the following functions, namely:—

(a)Compiling and updating the State Registers of clinical establishments;

(b)Sending monthly returns for updating the National Register (including in the digital format);

(c)Representing the State in the National Council;
(d)Hearing of appeals against the orders of the authority;
(e)Publication on annual basis a report on the state of implementation of standards within States of Uttar Pradesh;
(f)Monitoring the implementation of the provisions of the Act and the rules made thereunder in the State;
(g)Recommending to the State Government, any modifications required to be issued in these rules in accordance with changes in technology or social conditions;
(h)Any other function as may be outlined by the National Council of Clinical Establishments and prescribed by the Central Government;
(i) Maintenance of standards within States of Uttar Pradesh.

(2) It shall be the responsibility of the State Council for Clinical Establishment to compile and update the State Register of clinical establishments of the State and further to send monthly returns in digital format for updating the National Register.

Disqualification for appointment as member

6. A person shall be disqualified for being appointed as a member of the State Council if he-

(a) has been convicted and sentenced for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) Is an undischarged insolvent; or

(c) Is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by any such Government ; or

(e) has in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the State council as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.

Conduct of Business

7. Every meeting of the State Council shall be presided over by the Chairperson and in the absence of the Chairperson the senior member of the State Council shall preside.

Time and place for meetings of the State Council

8. The meetings of the State Council shall ordinarily be held at the State Capital on such dates as may be fixed by it. The State Council shall meet every three months.

Notice of Meeting

9. Notice of every meeting other than a special meeting shall be dispatched by the Member Secretary to each member of the State Council not less than one week before the date of the meeting.

Quorum, call for meeting and minutes

10. (1)One - third of the total number of members of the State Council shall form a quorum and all actions of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(2)The notice and agenda of every such meeting of the State Council shall ordinarily be given 7-10 days before the meeting by the Member Secretary of the State Council.

(3)The proceedings of the meetings of the State Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated after confirmation by the signature of the Chairperson.

(4)A copy the minutes of each meeting of the State Council shall be submitted to the Chairperson by the secretary within 5-7 days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the Council within 15 days of the meeting. If no objection to their correctness is received within 10 days of their dispatch, any decisions therein shall be given effect to;

Provided that the Chairperson may, where in his opinion it is necessary or expedient to do so, direct that action be taken on the decision of the meeting.

Resignation and filling of casual vacancies

11(1) A member desiring to resign his seat on the State Council shall send his resignation in writing to the Chairperson and every such resignation shall take effect from the date mentioned by him in this behalf or in case no such date is mentioned, from the date of the receipt of his/her letter by the Chairperson after confirmation from the member concerned about his resignation.

(2) When a casual vacancy occurs by reason of death, resignation or otherwise of a member, a report shall be made forthwith by the Chairperson to the State Government which shall take steps to have the vacancies filled by nomination or election, as the case may be.

Finance and Accounts

12. The Accounts of the Council shall be audited annually by a Chartered Accountant, who is to be appointed from a panel approved by the Comptroller and Auditor General of India. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Council.

The District Registering Authority

13. The State Government shall, by notification, under section-10, of the Act and in accordance with the rules farmed by central Government in this behalf set up an authority to be called the District Registering Authority for each district for registration of clinical establishments.

Functions of the Authority

14. The Authority shall perform the following functions:-

(a)To grant, renew, suspend or cancel registration of any clinical establishment.

(b)To enforce compliance of the provisions of the Act and these rules;

(c)To investigate complaints of breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder and take immediate action;

(d)To prepare and submit on quarterly basis report containing details related to number and nature of provisional and permanent registration certificates issued; include those cancelled, suspended or rejected to the State Councils;

(e)To report to the State Council on a quarterly basis on action taken against non-registered clinical. establishments operation in violation of the Act;

(f)Any other function as may be prescribed by the Central Government and or the State Government from time to time.

Powers of the Authority (section-10/2)

15. The authority shall, for the purposes of discharging its functions under the Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) Requiring the discovery and production of any document or other electronic records or other material objective producible as evidence;
(c) Receiving evidence on affidavits;
(d) Requisitioning of any public record;
(e) Issuing commission for the examination of witnesses or documents;
(f) Reviewing its decisions, directions and orders;
(g) Dismissing an application for default or deciding it exparte;
(h) Any other matter which may be prescribed.

Meetings of the authority

16 (1) The meetings of the Authority shall be held at least once in a month at a stipulated date and time.

(2). Every meeting of the Authority shall be presided over by the Chairperson.

(3). Notice of every meeting other than a special meeting shall be issued by the Convener to each member not less than one week before the date of the meeting.

Quorum and minutes

17. One - third of the total number of members of the Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.

Proceedings and minutes of meetings

18(1) The proceedings of the meetings of the District Registering Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated after confirmation by the signature of the Chairperson.

(2)A copy the minutes of each meeting of the Authority shall be submitted to the Chairperson by the Member Secretary

within 5-7 days of the meeting and after having been attested by him shall be sent to each member of the Council within 15 days of the meeting. If no objection to their correctness is received within 10 days of their dispatch, any decisions therein shall be given effect to, provided that the Chairperson may, where in his opinion it is necessary or expedient so to do, direct that action be taken on the decision taken in the meeting.

Resignation and filling of casual vacancies

19. If a casual-vacancy occurs in the office of any other member, whether by reason of death, resignation or inability to discharge, functions owing to illness or any other incapacity, such vacancy shall be filled by the District Collector by making a fresh appointment and the member so appointed shall hold office for the remaining term of office of the person in whose place he/she is so appointed.

Registration of Clinical Establishments Application for Registration

20(1) The applicant shall apply to the District Registration Authority for provisional registration, either in person, or by post or through web based online facility with the necessary information in a format as per **SG** AR Annexe under sub sections (1) and (3) of section 14 of the Act.

(2) The applicant shall apply to the Authority for permanent registration, in person, or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having met the requirements of minimum standards and personnel for different categories of Clinical Establishments in a form and format that shall be prescribed by the National Council under sections 24 and 25 of the Act.

(3) If an establishment is offering services in more than one category as specified under these rules the establishment will need to apply for a separate provisional or permanent registration for each category of establishment under sub section (1) of section 14 and section 30 of the Act. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of an establishment providing outpatient/inpatient care, no separate registration will be required.

Acknowledgement of Application

21. The Authority, or any person in his office authorized in this behalf, shall, acknowledge receipt of the application for registration, in the acknowledgment slip provided as per **SGAA Annexe** immediately, if delivered at the office of the authority, or not later than the next working day if received by post and by online acknowledgement to be generated automatically by the system.

Grant of Registration

22. (1) The authority shall not undertake any enquiry prior to the grant of provisional registration and shall within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a certificate of provisional registration containing particulars and information as per **SGR Annexe** either by post or electronically under section 15, read with section 17 of the Act.

(2) While granting/issuing registration certificate and License to any medical practitioner to run Clinic, Nursing Home or Hospital whether it is government or private or a clinical establishment, the conditions provided in the guidelines of Medical Council of India shall be made part and parcel of the registration Certificate/License.

Certificate of registration

23. The Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration as per format developed by National Council either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provision of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment.

In case of permanent registration, under section 29 of the Act, the authority shall pass an order within thirty days:-

(a) allowing the application for permanent registration; or

(b) disallowing the application:

Provided that the Authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.

Fees to be charged

24(1) The various fees charged for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment is prescribed in **SGF Annexe** under section 14 read with section 19, sub-section (1) of section 20, section 22; section 24 and sub-section (2) of section 35 of the Act. Clinical

Establishments owned, controlled and managed by the Central/ State Government or a local authority or a department of Government, shall be exempt from payment of fees for registration. The fees prescribed for various categories of clinical establishments may be revised by the State Council through a notification to be issued by the State Government. The fee shall be paid by a demand draft drawn /online transaction in favor of the Authority concerned as specified under sub section (1) of section 14 and section 30 of the Act. The fees collected by the Authorities for registration of the Clinical Establishments shall be, deposited by the Authority concerned in a Nationalized scheduled bank account opened in the name of the official designation of the Authority concerned and shall be utilized by the Authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act and these rules as approved by the Authority.

(2) There shall be constituted a fund called State Clinical Establishment Council Fund and all district authorities shall credit to such fund two percent of the total amount collected by them by way of fees and penalties. The Accounts shall be maintained as per the Financial Code and shall be audited by a qualified Chartered Accountant empanelled by CAG. The annual Audit reports shall be submitted to the concerned State Council. In the event of any change of ownership or management, the establishment shall intimate to the District Registration in writing within one month of such change along with the fee prescribed in **SGF Annexe** for issue of a revised certificate of Provisional or Permanent registration, as the case maybe, incorporating the changes and on surrendering the old certificate under sub section (2) of section 20 and section 30 of the Act.

(3) In the event of certificate of registration (Provisional or Permanent) being lost or destroyed, the owner shall apply to the Authority to issue a duplicate certificate upon payment of the fee prescribed in **SGF Annexe** under section 19 and section 30 of the Act.

Renewal of Registration

25(1) The clinical establishment shall apply for renewal of provisional registration thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration. In case the application for renewal is not submitted within the

stipulated period, the authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal amount as prescribed in **SGF Annexe** and penalty of Rs. 100 per day till the date of application for renewal under section 22 of the Act.

(2) For renewal of permanent registration, the clinical establishment shall apply three months before expiry of the registration period of five years. The renewal will be granted by the Authority within three months of receipt of the application failing which it will be deemed to have been renewed. If the clinical establishment does not apply within one month of expiry of registration period, the registration will be deemed to have been suspended.

(3) Under sub-section (4) of section 30 of the Act the clinical establishment shall apply for renewal of permanent registration six months before the expiry of the validity of the certificate of permanent registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the authority will allow for renewal of registration on payment of the renewal amount as prescribed in **SGF Annexe** and penalty of Rs. 100 per day till the date of application for renewal is accepted.

Registers to be maintained, furnishing of returns and display of information

26. Every Authority shall within a period of two years from its establishment, compile, publish and maintain in digital format **Annexe SGO** a register of Clinical Establishments registered by it and it shall enter the particulars of the certificate so issued in a register containing particulars as developed by National Council.

Registers to be maintained

27. Every Authority including any other authority set up for the registration of clinical establishments under the law for the time being in force shall supply in digital format **Annexe SGO** to the State Council of Clinical Establishments a copy of every entry made in the District register of clinical establishments for a particular calendar month by the 15th day of the calendar month next following in keeping with provision of sub section (2) of section 37 of the Act.

Display of Information

28(1) The Authority shall, within a period of forty-five days from the date of grant of provisional registration, mandatorily cause to be published in the public domain either through two

local newspapers or any other public forums and on the website, which the Authority will launch, the name of the Clinical establishment, Address, Ownership, Name of Person in Charge, System of Medicine offered, Type and Nature of Services offered and details of the Medical Staff (Doctors, Nurses, etc.) as provided under sub section (2) of section 16 of the Act.

(2) The State council may make changes in the nature of information to be provided in the Public Domain through a notification, except in the case of the mandatory information to be provided under sub-section (2) of section 16 of the Act.

(3) The Authority shall, within a period of seven days cause to be published in the public domain either through two local newspapers or any other public forums and on the website, which the Authority will launch, the name of the Clinical Establishment, Address, Ownership, Name of Person in Charge, System of Medicine offered, Type and Nature of Services offered, details of the Medical Staff (Doctors, Nurses, etc) and the details and information related to having complied with the minimum standards and personnel prescribed for the particular category of Clinical Establishment under section 26 of the Act. The Authority shall cause to be displayed the above information in public domain for a period of 30 days for filing objections before granting permanent registration in **(Annexe SGO).**

(4) If any person has any objection to the information published regarding the clinical establishment they shall give in writing the reasons and evidence of objection or non-compliance to the Authority. The Authority shall, within a period of 15 days cause to be published in the public domain the name of the Clinical Establishment whose (Provisional or Permanent) registration has expired as under section 21 and section 30 of the Act.

Information to be provided by Clinical Establishments

29.(1) The Clinical Establishments shall maintain medical records of patients treated by it and health information and statistics in respect of national programmers and furnish the same to the district authorities in form of three monthly reports. The minimum medical records to be maintained and

nature of information to be provided by the Clinical Establishments will be as per the formats developed by the National Council.

(2) Copies of all records and statistics shall be kept with the clinical establishment concerned for at least 3 years or in accordance with any other relevant Act for the time being in force under clause (iii) of sub section (I) of section 12 of the Act. All clinical establishments shall be responsible for submission of information and statistics in the time of emergency or disaster or epidemic situation.

(3) The State Government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval. In addition to the specific provisions of the Act all establishments shall comply and maintain information and statistics in keeping with other applicable Acts and rules which are in force in the country.

Maintenance of Medical Records

30(I) Every physician shall maintain the medical records pertaining to his/her indoor patients for a period of 3 years from the date of commencement of the treatment in a standard proforma laid down by the Medical Council of India and appended to these rules as Appendix-I.

(2) If any request is made for medical records either by the patients/authorised attendant or legal authorities involved, the same may be duly acknowledged and documents shall be issued within the period of 72 hours. In case, records are not supplied, it shall be punishable and make out a case for rejection of registration of such Hospital, Medical practitioner or Nursing Home by the competent authority.

(3) A registered medical practitioner shall maintain a Register of Medical Certificates giving full details of certificates issued. When issuing a medical certificate he/she shall always enter the identification marks of the patient and keep a copy of the certificate. He/she shall not omit to record the signature and/or thumb mark, address and at least one identification mark of the patient on the medical certificates or report. The medical certificate shall be prepared in Appendix-2.

(4) Effort shall be made to computerize medical records for quick retrieval."

(5) A supervising officer shall be designated who will ensure that conditions mentioned hereinabove are complied with by Medical Practitioners, Hospitals and Nursing Homes whether they are private or the Government. The Government Hospitals including SGPGI or other post graduate institutions shall also comply with the above conditions and provide a copy of entire medical records to the patients or their nominee within the aforesaid period of 72 hours after discharge from the respective hospitals.

(6) All Hospitals shall also maintain their record of each and every patient on the website starting from registration of the patient to the date of discharge.

Power to enter

31(1) Entry and search of a Clinical Establishment may be done by the Authority or an officer or team duly authorized by it or subject to such general or special orders as may be made by the authority. Such a decision will be required to be taken by majority of members.

(2) Such entry and search of clinical establishments may be conducted if running a Clinical Establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe that the Clinical Establishment is being used for purposes other than that it is registered or contravenes any of the provisions of the Act or the rules or these rules shall at all reasonable times enter and inspect any record, register, document, equipment and articles as deemed necessary under the provisions of section 34 of the Act.

(3) The authority or the officers or the team referred to in sub rule (1) may at any time enter and examine all portions of the premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as may be considered necessary to verify the statements made in the application for registration and grant of license. All persons connected with the running of the establishment shall be bound to supply full and correct information to the authority or the officers or the team conducting the inspection.

(4) The officer/team shall submit a report as per **SGIR Annexe** within a week of the inspection to the Authority with a copy to the State Council. If at any time after any clinical establishment has been registered, the authority is satisfied that,-

(a) the conditions of the registration are not being complied with; or

(b) the person entrusted with the management of the clinical establishment has been convicted of an offence punishable under the Act, it may issue a notice to the clinical establishment to show cause within three months' time as to why its registration should not be cancelled for the reasons to be mentioned in the notice.

(5) If after giving a reasonable opportunity to the clinical establishment, the authority is satisfied that there has been a breach of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder, it may, by an order, without prejudice to any other action that it may take against such clinical establishment, cancel its registration.

(6)Every order made under sub-section (2) of section 41 of the Act shall take effect-

(a) where no appeal has been preferred against such order immediately on the expiry of the period prescribed for such appeal; and

(b) where such appeal has been preferred and it has been dismissed from the date of the order of such dismissal:

Provided that the authority, after cancellation of registration for reasons to be recorded in writing, may restrain immediately the clinical establishment from carrying its business on if there is imminent danger to the health and safety of patients.

Penalties

32. In keeping with the provisions of sub sections (1),(2) and (3) and section 41 and sub-sections (1),(2) and (3) of section 42 of the Act, whoever carries on a clinical establishment without registration or whoever willfully disobeys any direction, or obstructs the authority or any officer or team authorized by it or withholds any such information or provides false information shall be liable to a monetary penalty.

Whoever carried on a clinical establishment without registration, shall, on first contravention be liable to a monetary penalty up to ten times of registration fee, for second contribution to a monetary penalty which may extend to twenty times of registration fee and for third time contravention to penalty which may extend to fifty times of registration fee and for any further contravention the registration will be rejected/canceled.

Whoever knowingly serves in a clinical establishment which is not duly registered under this Act, shall be liable to a monetary penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

The penalty fees collected by the authorities shall be, deposited by the Authority concerned in a Nationalized bank account opened in the name of the official designation of the State Council concerned and shall be utilized by the Council and authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act as approved by the Council.

Appeals

33(1) In keeping with section 36, sub sections (4) (5) (6) and (7) of section 41 and sub-sections (4) (5) (6) and (7) of section 42 any person or clinical establishment, if aggrieved by the decision of the Authority under sections 29 and 34 of the Act, may file an appeal in the format **SGA Annexe** to the State Council within thirty days from the date of receipt of such order along with a fee of Rs. 5000/-.

(2) The appeal against a public healthcare establishment shall be filed in form SGA and shall be sent to the State Council by registered post or in person.

(3) Every appeal shall be accompanied by a fee of rupees one thousand.

(4) After receipt of the appeal, the State Council shall fix the time and date for hearing and inform the same to the appellant and others concerned by a registered letter giving at least 15 days time for hearing of the case.

(5) The appellant may represent by himself or authorized person or a Legal practitioner and submit the relevant documentary material if any in support of the appeal.

(6) The State Council shall hear all the concerned, receive the

relevant oral/documentary evidence submitted by them, consider the appeal and communicate its decision preferably within 90 days from the date of filing the appeal.

(7) If the State Council considers that an interim order is necessary in the matter, it may pass such order, pending final disposal of the appeal.

(8) The State Council will have the authority to stay the operation of the order of the authority till such time as it deems necessary.

(9) The decision of State Council shall be final and binding.

(10) If no appeal is filed against the decision of the Authority in the prescribed period (i.e.) within 30 days from the date of receipt of the order, the orders of the Authority shall be final.

(11) The appeal fees collected by the an authority shall be deposited by the Authority concerned in a Nationalized bank account opened in the name of the official designation of the State Council and shall be utilized by the State Council and authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act as approved by the State Council.

By order,

(ARVIND KUMAR)
Principal Secretary.

SG AR Annexe
{See rule 20 (1)}

Application Form for Provisional Registration of Clinical Establishments

1. **Name of the Establishment**:/Doctor (in case of single practitioner_________________
2. **Address:** ____________________________________
   Village/Town: ________________ Taluka: ____________
   District: __________ State: __________ Pin code: __________
   Tel No (with STD code): ____________ Mobile: ____________
   Website (if any): ____________________________
3. **Name of the owner:** ____________________________
   Address: ____________________________________
   Village/Town: ________________ Taluka: ____________
   District: __________ State: __________ Pin code: __________
   Tel No (with STD code): ____________ Mobile: ____________
   Email ID: ____________________________________
   3a) Name of Person in charge and Qualifications: ________________
4. **Ownership:-**

a) Public Sector: ❑ Central government ❑ State government ❑ Local government
   ❑ Public Sector Undertaking ❑ Any other (Please specify): ____________

b) Private Sector: ❑ Individual Proprietorship ❑ Registered Partnership
   ❑ Registered Company ❑ Co-operative Society ❑ Trust/Charitable
   ❑ Any other (please specify): ________________________

5. **Systems of Medicine offered: (please tick whichever is applicable)**
   ❑ Allopathy ❑ Ayurveda ❑ Unani ❑ Siddha ❑ Homeopathy ❑ Yoga & Naturopathy.
6. **Services Provided: (please tick whichever is applicable)**
   ❑ Inpatient ❑ Outpatient ❑ Laboratory/Imaging Centre ❑ Any other (please specify): ___
7. **Category of Clinical Services:** ❑ General ❑ Single Specialty ❑ Multi Specialty
   ❑ Super Specialty.
8. **Type of Establishment: (please tick whichever is applicable)**

a) **Inpatient:** ❑ Hospital ❑ Nursing Home ❑ Maternity Home ❑ Primary Health Centre
   ❑ Community Health Centre ❑ Sanatorium ❑ Day Care Center.

b) **Number of Beds:**________________

c) Outpatient: ❑ Single practitioner ❑ Polyclinic ❑ Sub-Centre ❑ Physiotherapy Clinic
   ❑Occupational Therapy ❑ Infertility Clinic ❑ Dental clinic ❑ Dispensary
   ❑ Dialysis Centre ❑ Any other (please specify):________________

d) Laboratory: ❑ Pathology ❑ Haematology ❑ Biochemistry ❑ Microbiology ❑ Genetics
   ❑ Collection Centre ❑ Any other (please specify):________________

e) Imaging Centre: Please Specify: ________________________
   Special diagnostics: Please Specify: ____________________

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010. I undertake that I Shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Date: **Signature of the Authorized Signatory**

SGAAAnnexe

{See rule 21}

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR

REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

The application in Form ______ for Grant / Renewal of Provisional / Permanent registration of the Clinical Establishment submitted by ____ (Name and address of Owner) has been received by the District Registration Authority on ____________________ (date) and found to be Complete.

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

SEAL

Designation of the Issuing Authority
Place & Date:

SG F Annexe
[See rules 24 and 25]

Fees to be Charged

Description	Urban		Rural		Metro	
	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent
Out Patient Care	100	500	50	250	200	1000
In Patient Care						
1 to 30 beds	100	500	50	250	200	1000
30 to 100 beds	200	1000	100	500	400	2000
Above 100 beds	300	1500	150	650	600	3000
Testing & Diagnostic						
Laboratories	200	1000	100	500	400	2000
Diagnostic & Imaging Centre	300	1500	150	650	600	3000

Other Fees:-

- For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)
- For Late Application the amount would be double of the registration fee(Provisional/Permanent)
- For Duplicate Certificate the amount would be Rs. 200
- For change of ownership, management or name of establishment would be Rs 100
- For any appeal the amount would be Rs. 100

* If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing out patient / Inpatient care no separate registration is required.

SG R Annexe

{See rule 22 (1)}

PROVISIONAL CERTIFICATE

FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Provisional registration No:
Date of issue:
Valid up to:

1. Name of the Clinical Establishment: ____________________

2. Address: ____________________

3. Owner of the Clinical Establishment: ____________________

4. Name of Person in Charge: ____________________

5. System of Medicine : ____________________

6. Type of Establishment: ____________________

Is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

Designation of the Issuing Authority
Place & Date:

District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances.

Annexe SGO

[Sec rules 26 and 27]

Display of registration status for filling objections

I, ... being the authority under the Clinical Establishment Act, 2010 after considering the applications received during the period; from .... to .... under Sec. 24 satisfying the provisions of the clinical establishments Act, 2010 and the clinical establishments rules, 2011 made their under, hereby publish the list of Clinical Establishments; within the jurisdiction of .... district.

Serial No.	Name of Clinical Establishment with address	Ownership/ In charge	System of medicine	Date on which Application was submitted	Category & Standards complied with

Objections if any, in writing to the published list may be addressed in duplicate to

....

.... (Address of the authority) within 30 days, from the date of this notification, as required under S. 26 of the Act.

Place: **Signature:**
Date: **Name:**

(Seal of the authority)

SG IR Annexe

{See rules 31 (4)}

Suggested Format for Submission of Inspection Report

Number of visits made with dates

Names and details of members of the inspection team

Name of clinical establishment visited

Address and contact details of clinical establishment visited

Process followed for inspection (e.g. kindly outline who was met with, what records were examined, etc)

Salient Observations / Findings

Conclusions

Specific Recommendations:

(1) To the Clinical Establishment

(2) To the District Registering Authority

* *In case of lack of consensus amongst members of the inspection team, the same may be kindly Indicated*

Signature (of all members of the inspection team)

Date **Place**

S G A Annexe

{See rules 33 (1)}

Application for Appeal

To,

The State Council,
Government of Uttar Pradesh.

Sir,

I, Dr. .... of .... Had applied for registration/ is a valid license holder with registration number .... under clinical Establishment Act, 2010 for my .... located at ....

I was communicated by the district authority as per letter no. .... dated ....that either;

i) That my application was rejected

ii) That my registration is cancelled

iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment

iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act.

v) Any other ....

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below;

i) ....

ii) ....

iii) ....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing herewith a draft of Rs. 1000/-

Thanking you,

Place: **Signature:**

Date: **Name:**

Appendix-1

FORMAT FOR MEDICAL RECORD

{See rule 30 (1)}

Name of the patient:

Age:

Sex:

Address:

Occupation:

Date of First Visit:

Clinical note (Summary) of the case:

Prov: Diagnosis:

Investigation advised with reports:

Diagnosis after investigation:

Advice:

Follow up:

Date:

Observation:

Signature in full.........................

Name of Treating physician.

Annexe-2

[See rule 30 (3)]

FROM THE CERTIFICATE RECOMMENDED FOR LEAVE OR EXTENSION OR COMMUNICATION OF LEAVE AND FOR FITNESS

Signature of patient
or thumb impression..
To be filled in by the applicant in the presence of the Government Medical Attendant, or Medical Practitioner.

Identification marks:-

a...

b...

I, Dr. .... after careful examination of the case certify hereby that .... whose signature is given above is suffering from ....and I consider that a period of absence from duty of ....with effect from ....is absolutely necessary for the restoration of his health.

I, Dr. .... after careful examination of the case certify hereby that .... on restoration of health now fit to join service.

Signature of Medical attendant
Registration No..............................

(Medical Council of India/State Medical Council of ....State)

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
संख्या–191/2016/1625/पांच–6–2016–डब्लू–5/2002
लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23, सन् 2010) की धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 कही जाएगी।
	(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
लागू होना	2–यह नियमावली ऐसी श्रेणी के स्थापनों के संबंध में लागू होगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय।
परिभाषाएं	3(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :– (क) अधिनियम का तात्पर्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23 सन् 2010) से है; (ख) नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 से है; (ग) ''राज्य परिषद्'' का तात्पर्य नियम 4 के अधीन स्थापित राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् उत्तर प्रदेश से है। (2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके के लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।
राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्	4(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक परिषद् की स्थापना की जाएगी जिसे राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् कहा जायेगा। (2) राज्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी– (क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो अध्यक्ष होगा, (पदेन) (ख) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, जो सचिव होगा, (पदेन)

	(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रत्येक शाखा का निदेशक जो सदस्य होगा, (पदेन) (घ) निम्नलिखित की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि– (एक) भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद (दो) भारतीय राज्य दंत चिकित्सा परिषद (तीन) भारतीय राज्य नर्स परिषद (चार) भारतीय राज्य भेषजी परिषद (ड.) भारतीय राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधि, (च) भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला एक प्रतिनिधि (छ) परा–चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी से एक प्रतिनिधि, (ज) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि, (3) राज्य परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा। (4) राज्य परिषद् के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे किन्तु वे पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे : परन्तु यह कि, यथास्थिति, नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह उस पद की नियुक्ति धारण करता है जिसके आधार पर उसे राज्य परिषद् में नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था।
राज्य परिषद के कृत्य	5(1) राज्य परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :– (क) नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टरों को संकलित और अद्यतन करना; (ख) राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए मासिक विवरणियां (डिजिटल रूप सहित) भेजना, (ग) राष्ट्रीय परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व करना; (घ) प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना; (ड.) उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर मानकों को कार्यान्वित करने की स्थिति के सम्बन्ध में वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना; (च) राज्य में अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना; (छ) प्रौद्योगिकी और सामाजिक दशा में हुए परिवर्तन के अनुसार इन नियमावली में जारी किये जाने के लिए अपेक्षित उपान्तरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सिफारिश करना;

	(ज) कोई अन्य कृत्य जो राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् द्वारा अवधारित और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय। (झ) उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर मानकों को बनाए रखना। (2) राज्य नैदानिक स्थापन का उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य के नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर को संकलित और अद्यतन करे और राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए डिजिटल रूप में मासिक विवरणियां भेजे।
सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये निरर्हताएं	6–कोई व्यक्ति राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि (क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता, अंतर्वलित है, या (ख) यह अनुन्मोचित दिवालिया है, या (ग) वह विकृतचित का है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है, या (घ) उसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है, या (ङ.) राज्य सरकार की राय में, उसका राज्य परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
कार्य का संचालन	7–राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य परिषद् का ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा।
राज्य परिषद की बैठकों का समय एवं स्थान	8–राज्य परिषद् की बैठकें सामान्यतः राज्य की राजधानी में ऐसे दिनांक को जो उसके द्वारा नियत किया जाय, आयोजित की जायेगी। राज्य परिषद् प्रत्येक तीन माह में बैठक करेगी।
बैठक की नोटिस	9–किसी विशेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक की नोटिस सदस्य सचिव द्वारा राज्य परिषद के प्रत्येक सदस्य को बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दी जायेगी।
गणपूर्ति, बैठक बुलाना और कार्यवृत्त	10–(1) राज्य परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य से गणपूर्ति होगी और राज्य परिषद् के समस्त कार्यो का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा। (2) राज्य परिषद् की प्रत्येक ऐसी बैठक की नोटिस और कार्यसूची राज्य परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा सामान्यतः बैठक के 7–10 दिन पूर्व दी जायेगी। (3) राज्य परिषद् के बैठको की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित की जायेंगी जिन्हें पुष्टि के उपरान्त अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा। (4) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सचिव द्वारा बैठक के 5–7 दिन के

	भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक के 15 दिन के भीतर भेजी जायेगी, यदि उनके प्रेषित किये जाने के 10 दिनों के भीतर उनके सही होने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उसे कार्यान्वित किया जायेगा: परन्तु यह कि अध्यक्ष, जहाँ उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, निर्देश दे सकता है कि बैठक के विनिश्चय पर कार्यवाही की जाय।
त्याग पत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना	11(1) राज्य परिषद् में अपनी सीट से त्याग–पत्र देने के लिये इच्छुक कोई सदस्य अपना त्याग पत्र लिखित रूप से अध्यक्ष को भेजेगा और ऐसा प्रत्येक त्याग पत्र उसके द्वारा इस निमित्त उल्लिखित दिनांक से प्रभावी होगा और यदि ऐसे दिनांक का उल्लेख न किया गया हो तो सम्बन्धित सदस्य से उसके त्याग पत्र के संबंध में पुष्टि करने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा उसके पत्र की प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा। (2) जब किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्याग पत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को दी जायेगी जो यथास्थिति नामांकन या निर्वाचन द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के लिए कार्यवाही करेगी।
वित्त एवं लेखा	12–परिषद् के लेखे की लेखा–परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जायेगी जिसकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी। ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत व्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण	13–राज्य सरकार, अधिनियम की धारा--10 के अधीन और इस निमित्त केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार अधिसूचना द्वारा, नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
प्राधिकरण के कृत्य	14–प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :– (क) किसी नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को स्वीकृत, नवीकृत, निलंबित या निरस्त करना; (ख) अधिनियम के उपबंधो और नियमों और इस नियमावली के अनुपालन का प्रवर्तन करना; (ग) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना और त्वरित कार्यवाही करना; (घ) जारी किये गये अनन्तिम और स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों और साथ में निरस्त, निलम्बित या अस्वीकृति किये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों की संख्या और प्रकृति के विवरण के साथ त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करना और उसे राज्य परिषद् को प्रस्तुत करना; (ङ.) अधिनियम का उल्लंघन करके गैर रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन के प्रचालन के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में त्रैमासिक आधार पर राज्य परिषद् को आख्या देना;

	(च) कोई अन्य कृत्य जो समय–समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
प्राधिकरण की शक्तियां (धारा–10/2)	15–प्राधिकरण के पास अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी हो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थातः– (क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना; (ख) किसी दस्तावेज या अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने योग्य अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना; (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) किसी अन्य सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना; (ड.) साक्ष्यों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु आदेश पत्र निर्गत करना; (च) अपने विनिश्चय, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; (छ) किसी दोष के लिये किसी आवेदन–पत्र को खारिज करना और एक पक्षीय रूप से उसका विनिश्चय करना, (ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।
प्राधिकरण की बैठक	16–(1) प्राधिकरण की बैठकें निश्चित दिनांक और समय पर माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेंगी। (2) प्राधिकरण के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। (3) विशेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक की नोटिस संयोजक द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी कर दी जायेगी।
गणपूर्ति और कार्यवृत्त	17–प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण की सभी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।
बैठक की कार्यवाहियॉं और कार्यवृत्त	18–(1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियॉ कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित की जायेंगी जो पुष्टि के पश्चात् अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगी। (2) प्राधिकरण के प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के 5–7 दिन के भीतर सदस्य–सचिव द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उनके द्वारा उसे सत्यापित करने के पश्चात् बैठक के 15 दिन के भीतर परिषद् के प्रत्येक सदस्य को भेजा जायेगा। यदि उनके प्रेषण के 10 दिन के भीतर उनकी शुद्धता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो उसमें लिये गये किसी विनिश्चय को प्रभावी माना जायेगा, परन्तु यह कि अध्यक्ष, जहॉं उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हो, यह निदेश दे सकेगा कि बैठक में लिये गये विनिश्चय पर कार्यवाही की जाय।

त्याग पत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना	19—यदि किसी अन्य सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, वह रिक्ति चाहे मृत्यु, त्याग--पत्र या बीमारी के कारण, कृत्यों के निर्वहन में निर्योग्यता के कारण या किसी अन्य अक्षमता के कारण हो, तो ऐसी रिक्ति जिला कलेक्टर द्वारा नये सिरे से नियुक्ति करके भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति हुई है, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।
नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	20--(1) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) और (3) के अधीन एस जी ए आर अनुलग्नक के अनुसार प्रारुप में आवश्यक सूचना सहित व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या वेब बेस्ड आनलाईन सुविधा के माध्यम से जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा। (2) आवेदक अंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए नैदानिक स्थापनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिक की अपेक्षाओं को पूरा करने के साक्ष्य के साथ आवश्यक सूचना ऐसे प्रपत्र और प्ररूप में, जो अधिनियम की धारा 24 और 25 के अधीन राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विहित किये जायेंगे, भरकर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या वेब बेस्ड आनलाईन सुविधा के माध्यम प्राधिकारी को आवेदन करेगा। (3) यदि स्थापन एक से अधिक श्रेणियों, जैसाकि नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट है, में सेवा प्रदान कर रहा है तो स्थापन को अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन स्थापन के प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक--पृथक अनन्तिम या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी किन्तु यदि कोई प्रयोगशाला या नैदानिक केन्द्र ऐसे स्थापन का कोई भाग हो, जो वाह्य रोगी/अंतरंग रोगी, देख—भाल की सेवा प्रदान कर रहा हो तो किसी पृथक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन की अभिस्वीकृति	21—प्राधिकारी या इस निमित्त उसके कार्यालय में प्राधिकृत कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र की प्राप्ति को एस जी ए ए अनुलग्नक के अनुसार प्रदान की गई अभिस्वीकृति स्लिप में, यदि प्राधिकरण के कार्यालय में दी गई हो तो तत्काल अभिस्वीकृति देगा अथवा यदि डाक द्वारा प्राप्त की गई हो तो अगले कार्य दिवस के अपश्चात् अभिस्वीकृत देगा और आनलाईन अभिस्वीकृति को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः जनरेट कर दिया जायेगा।
रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति	22—(1) प्राधिकरण अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण स्वीकृति किये जाने के पूर्व कोई जांच शुरू नहीं करेगा और ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 10 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को एस जी आर अनुलग्नक के अनुसार विवरण एवं सूचना के साथ अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक के माध्यम से अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत करेगा।

	(2) किसी चिकित्सा व्यवसायी को क्लीनिक, नर्सिंग होम या हास्पिटल चाहे वह सरकारी या प्राइवेट हो या नैदानिक स्थापन हो, चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र /अनुज्ञप्ति स्वीकृत/जारी करते समय भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिशा–निर्देशों में प्रदत्त शर्तो को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति का अभिन्न अंग बनाया जायेगा।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र	23–प्राधिकरण राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विकसित फार्मेट के अनुसार आवेदक को डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् स्वीकृत करेगा कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिक के उपबंधो सहित समस्त अपेक्षाओं और मापदंड का अनुपालन कर लिया है। स्थायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्राधिकरण 30 दिन के भीतरः– (क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को स्वीकृत करने, या (ख) आवेदन को अस्वीकृत करने, का आदेश पारित करेगा : परन्तु यह कि प्राधिकरण यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकृत करता है तो वह उसके औचित्य और कारण अभिलिखित करेगा।
प्रभारित की जाने वाली फीस	24–(1) अनन्तिम और स्थायी रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्र, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, स्थापन के स्वामित्व, प्रबंधन या नाम परिवर्तन के लिए प्रभारित विभिन्न प्रकार की फीस अधिनियम की धारा 19, धारा 20 की उपधारा (1), धारा 22, धारा 24 और धारा 35 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 14 के अधीन एस जी एफ अनुलग्नक में विहित है। केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी विभाग के स्वामित्वाधीन, उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित नैदानिक स्थापनों को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। नैदानिक स्थापनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विहित फीस राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से राज्य परिषद द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। फीस का भुगतान जैसा कि अधिनियम की धारा–14 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट है, सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष में आहरित बैक ड्राफ्ट द्वारा/आनलाईन संव्यवहार द्वारा किया जायेगा। नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित फीस को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के शासकीय पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक में खोले गये खाते में जमा किया जायेगा और उसका उपयोग प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन से सम्बंधित एवं अनुमोदित कार्य कलापों के लिए किया जायेगा। (2) एक निधि का गठन किया जायेगा जिसे राज्य नैदानिक स्थापन परिषद निधि कहा जायेगा और ऐसी निधि में सभी जिला प्राधिकारी फीस और शास्ति के रूप में स्वयं द्वारा एकत्रित कुल धनराशि

	का दो प्रतिशत अंश जमा करेंगे। खातों का रख–रखाव वित्तीय संहिता के अनुसार किया जायेगा और उसकी लेखा–परीक्षा नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा पैनलित अर्ह चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा की जायेगी। वार्षिक लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य परिषद् को प्रस्तुत की जायेगी। स्वामित्व या प्रबंधन में किसी परिवर्तन की दशा में स्थापन यथास्थिति, अनन्तिम या स्थायी रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए और अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 30 के अधीन पुराने प्रमाण पत्र को अभ्यर्पित करते हुए एस जी एफ अनुलग्नक में विहित फीस के साथ जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के एक माह के भीतर लिखित रूप में संसूचित करेगा। (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (अनन्तिम या स्थायी) के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में उसका स्वामी अधिनियम की धारा 19 और धारा 30 के अधीन एस जी एफ अनुलग्नक में विहित फीस का भुगतान करके प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण	25–(1) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए नैदानिक स्थापन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण--पत्र की विधि मान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व आवेदन करेगा। नियत अवधि के भीतर नवीकरण हेतु आवेदन–पत्र न प्रस्तुत करने की दशा में, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 22 के अधीन एस जी एफ अनुलग्नक में विहित नवीकरण धनराशि और नवीकरण के आवेदन पत्र के दिनांक तक 100 रूपये प्रतिदिन की शास्ति के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अनुमति की अनुज्ञा देगा। (2) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए नैदानिक स्थापन पॉच वर्ष की रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व आवेदन करेगा। प्राधिकारी द्वारा नवीकरण आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्वीकृत किया जायेगा जिसके न होने पर यह समझा जायेगा कि नवीकरण हो गया है। यदि नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर आवेदन नहीं करता है तो रजिस्ट्रीकरण को लंबित समझा जायेगा। (3) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन नैदानिक स्थापन स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण--पत्र की विधि मान्यता की समाप्ति से 6 माह पूर्व स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। नियत अवधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन--पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 22 के अधीन एस जी एफ अनुलग्नक में विहित नवीकरण धनराशि और नवीकरण के आवेदन पत्र के दिनांक तक 100 रूपये प्रतिदिन की शास्ति के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अनुमति की अनुज्ञा देगा।
रखे जाने वाले रजिस्टर, विवरणी	26–प्रत्येक प्राधिकरण अपनी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुलग्नक एस जी ओ के डिजिटल प्रारूप में अपने द्वारा रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का एक रजिस्टर संकलित, प्रकाशित

उपलब्ध कराया जाना और सूचना संप्रदर्शन	एवं अनुरक्षित करेगा और यह राष्ट्रीय परिषद् द्वारा यथा विकसित विवरण सहित रजिस्टर में इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र के विवरण को दर्ज करेगा।
रखे जाने वाले रजिस्टर	27—प्रत्येक प्राधिकरण, जिसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए गठित कोई अन्य प्राधिकरण भी है, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुरूप प्रत्येक विशिष्ट कैलेण्डर माह के लिए आगामी अनुवर्ती कैलेण्डर माह की15 तारीख तक नैदानिक स्थापनों के जिला रजिस्टर में की गयी प्रत्येक प्रविष्टि की अंकीय प्रारूप में एक प्रति राज्य नैदानिक स्थापन परिषद को भेजेगा।
सूचना का संप्रदर्शन	28—प्राधिकरण अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत करने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, प्रभारी व्यक्ति का नाम, प्रदत्त औषधि पद्धति प्रदत्त सेवा का प्रकार और उसकी प्रवृत्ति और चिकित्सा स्टाफ, डाक्टर, नर्स आदि का विवरण, सार्वजनिक क्षेत्र में दो स्थानीय समाचार पत्रों या किसी अन्य सार्वजनिक फोरम के माध्यम से और ऐसी बेवसाइट पर जो प्राधिकरण चालू करेगा, अनिवार्य रूप से प्रकाशित करायेगा। (2) अधिनियम की धारा—16 की उपधारा (2) के अधीन प्रदान की जाने वाले अनिवार्य सूचना के मामले को छोड़कर, राज्य परिषद् किसी अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सूचना की प्रकृति में परिवर्तन कर सकती है। (3) प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में दो स्थानीय समाचार पत्रों या किसी अन्य सार्वजनिक फोरम के माध्यम से या ऐसी वेबसाइट पर, जिसे प्राधिकरण चालू करेगा, नैदानिक स्थापन के नाम, पता, स्वामित्व, प्रभारी व्यक्ति का नाम, प्रदान की गयी औषधि की पद्धति, प्रदान की गयी सेवाओं के प्रकार एवं प्रकृति, चिकित्सा कर्मचारिवृद (चिकित्सक, नर्स आदि) का ब्योरा और अधिनियम की धारा—26 के अधीन नैदानिक स्थापन की विशेष श्रेणी के लिए विहित न्यूनतम मानकों के अनुपालन और कार्मिकों के सम्बंध में ब्योरे एवं सूचना को सात दिन की अवधि के भीतर प्रकाशित करायेगा। प्राधिकरण (संलग्नक एम0जी0ओ0 में) स्थायी रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत करने के पूर्व आपत्तियॉ फाइल करने के लिए उपर्युक्त सूचना को तीस दिन की अवधि के भीतर संप्रदर्शित कराएगा। (4) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन से संबंधित प्रकाशित सूचना के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वह प्राधिकरण को आपत्ति के कारण और अनुपालन के साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध करायेगा। प्राधिकरण ऐसे नैदानिक स्थापन का नाम जिसका (अनंतिम या स्थायी) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा—21 और धारा—30 के अधीन समाप्त हो गया हो, 15 दिन की अवधि के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित करवाएगा।

नैदानिक स्थापनों द्वारा प्रदान की गई सूचना	29—(1) नैदानिक स्थापन स्वयं द्वारा उपचारित किए गए रोगियों के चिकित्सा अभिलेख और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बंध में स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना और ऑकडे रखेगा और उसे तीन मासिक रिपोर्ट के रूप में जिला प्राधिकरणों को उपलब्ध कराएगा। नैदानिक स्थापन द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम चिकित्सा अभिलेख और प्रदान की जाने वाली सूचना की प्रकृति राष्ट्रीय परिषद् द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में अनुसार होंगे। (2) सम्बंधित नैदानिक स्थापन द्वारा सभी अभिलेखों और आकड़ों की प्रतियॉ कम से कम तीन वर्ष के लिये अथवा अधिनियम की धारा—12 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अनुसार रखी जायेंगी। सभी नैदानिक स्थापन आपातकाल या आपदा या महामारी की स्थिति में सूचना और आकड़े प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे। (3) राज्य सरकार समय—समय पर नैदानिक स्थापन द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित सूचना की प्रकृति एवं इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित अन्य रोग की प्रकृति विहित अन्तराल सहित अधिसूचित कर सकती है। अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधो के अतिरिक्त, सभी स्थापन राज्य में लागू अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों का अनुपालन करेंगे और सूचना एवं आकड़े रखेंगे।
चिकित्सा अभिलेख रखा जाना	30—(1) प्रत्येक चिकित्सक अपने अंतरंग रोगी के सम्बन्ध में उपचार के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित और इस नियमावली के परिशिष्ट के रूप में संलग्न मानक प्रारूप में चिकित्सा अभिलेख रखेगा। (2) यदि रोगी/प्राधिकृत परिचर या सम्बद्ध विधिक प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा अभिलेख के लिये अनुरोध किया जाता है तो उसे सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किया जायेगा और दस्तावेजों को 72 घण्टे की अवधि के भीतर जारी कर दिया जायेगा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में ऐसा कार्य दण्डनीय होगा और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे चिकित्सालय, चिकित्सा व्यवसायी या नर्सिंग होम के रजिस्ट्रीकरण को नामंजूर किये जाने का मामला समझा जायेगा। (3) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा प्रमाण पत्रों से सम्बंधित एक रजिस्टर रखेगा जिसमें जारी किये गये प्रमाण पत्रों का पूरा विवरण दिया होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करते समय वह रोगी के पहचान चिन्ह की प्रविष्टि करेगा और प्रमाण पत्र रखेगा। वह चिकित्सा प्रमाण पत्र या रिपोर्ट पर रोगी के हस्ताक्षर और या अंगुष्ठ चिन्ह पता और कम से कम एक पहचान चिन्ह को अभिलिखित करना नहीं भूलेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र को परिशिष्ट—2 में तैयार किया जायेगा। (4) चिकित्सा अभिलेखों की तत्काल प्राप्ति के लिये उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया जायेगा। (5) एक पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रदाभिहित किया जायेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सालय और नर्सिंग होम, चाहे वे निजी हो या सरकारी, द्वारा ऊपर उल्लिखित शर्तो

	का अनुपालन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालो, जिसके अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा अन्य स्नोतकोत्तर संस्थान भी हैं, उपरोक्त शर्तो का भी अनुपालन करेंगे और सम्बंधित अस्पतालों से छुट्टी के पश्चात् पूर्वोक्त 72 घण्टे की अवधि के भीतर रोगियों या उनके नामनिर्देशितियों को सम्पूर्ण चिकित्सीय अभिलेख की प्रति उपलब्ध करायेंगे। (6) समस्त अस्पताल रोगी के रजिस्ट्रीकरण के प्रारम्भ होने से अवमुक्त किये जाने के दिनांक तक, प्रत्येक रोगी से सम्बन्धित अपने अभिलेख को वेबसाइट पर भी रखेंगे।
प्रवेश करने की शक्ति	31—(1) नैदानिक स्थापन में प्रवेश और उसकी तलाशी प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या टीम द्वारा या ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा दिये जायें, के अधीन ली जायेगी। ऐसा विनिश्चय सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाना अपेक्षित होगा। (2) नैदानिक स्थापन में ऐसा प्रवेश और उसकी तलाशी तभी ली जायेगी जब बिना रजिस्ट्रेशन के नैदानिक स्थापन चल रहा हो और विहित न्यूनतम मानक का अनुपालन न कर रहा हो और यह विश्वास करने का उपयुक्त कारण हो कि नैदानिक स्थापन का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है जो रजिस्ट्रीकृत प्रयोजन से भिन्न हो अथवा अधिनियम या नियमों या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंधन हो रहा हो। सम्बंधित प्राधिकारी या अधिकारी या टीम ऐसे सभी उपयुक्त समय पर प्रवेश करेंगे और किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, उपस्कर और वस्तुओं का निरीक्षण करेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा—34 के उपबन्धों के अधीन आवश्यक समझा जाये। (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी या टीम नैदानिक स्थापन के लिये प्रयुक्त या प्रयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित परिसरों के सभी मांगों में किसी भी समय प्रवेश करके परीक्षण कर सकेगें और उपस्करों, फर्नीचर और अन्य उपकरणों का निरीक्षण कर सकेंगे और नियोजित अथवा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी स्टाफ की व्यावसायिक अर्हताओं की जॉच कर सकेंगे और ऐसी कोई अन्य जॉच भी करेंगे जो अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या उसको स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में दिये गये कथन के सत्यापन के लिये आवश्यक समझे जायें। स्थापन के संचालन से सम्बंधित सभी व्यक्ति निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी या अधिकारियों या टीम को पूर्ण एवं सही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होंगे। (4) अधिकारी / टीम एस.जी.आई.आर. अनुलग्नक के अनुसार प्राधिकारी को निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा / करेगी और उसकी प्रति राज्य परिषद को प्रेषित करेगा / करेगी। यदि नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण होने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, — (क) रजिस्ट्रेशन की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

	(ख) नैदानिक स्थापन के प्रबन्धन का उत्तरदायी व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध करार दिया गया है, तो वह नैदानिक स्थापन को तीन माह की अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिये नोटिस जारी कर सकेगा कि नोटिस में उल्लिखित कारणों से उसका रजिस्ट्रेशन क्यों न निरस्त कर दिया जाये। (5) यदि नैदानिक स्थापन को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों का कोई उपबन्ध भंग हुआ है तो वह आदेश द्वारा, किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह ऐसे नैदानिक स्थापन के विरूद्ध कर सकता है, उसके रजिस्ट्रीकरण को निरस्त कर सकता है। (6) अधिनियम की धारा–41 की उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश वहां प्रभावी होगा – (क) जहॉ ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसी अपील के लिये विहित अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् दायर न की गयी हो: (ख) जहॉ ऐसी अपील दायर की गयी हो और वह ऐसी अपील के आदेश के दिनांक से खारिज कर दी गयी हो : परन्तु यह कि प्राधिकारी लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण के पश्चात् नैदानिक स्थापन को उसके कारबार के संचालन को जारी रखने से, यदि रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये कोई खतरा आसन्न हो, तुरन्त रोक सकता है।
शास्तियां	**32–अधिनियम की** धारा–41 **की** उपधारा (1)(2) एवं (3) **और** धारा–42 **की** उपधारा (1)(2) एवं (3) के उपबन्धों के अनुरूप जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई नैदानिक स्थापन चलायेगा या जो कोई किसी प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या टीम के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करेगा या बाधा पहुंचायेगा या कोई ऐसी सूचना को रोकेगा या कोई मिथ्या सूचना प्रदान करेगा, धनीय शास्ति से दण्डनीय होगा। जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई नैदानिक स्थापन चलायेगा, प्रथम उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क के दस गुना राशि तक की धनीय शास्ति से, दूसरे उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क के बीस गुना राशि तक की धनीय शास्ति से और तीसरे उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क के पचास गुना राशि तक की शास्ति से दण्डनीय होगा और किसी अग्रतर उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकरण को अस्वीकृत/निरस्त कर दिया जायेगा। जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी नैदानिक स्थापन में सेवा करेगा जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पच्चीस हजार रूपये तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा। प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित शास्ति शुल्क को सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित राज्य परिषद् के

	शासकीय पदाधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाता में जमा किया जायेगा और उसका उपयोग अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बंधित और परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित कार्यकलापों के लिये परिषद और प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
अपील	33–(1) धारा–36, धारा–41 की उपधारा (4)(5)(6) एवं (7) और धारा–42 की उपधारा (4), (5), (6) एवं (7) के अनुरूप कोई व्यक्ति या नैदानिक स्थापन, यदि अधिनियम की धारा 29 और 34 के अधीन प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो तो प्रारूप एस.जी.ए. अनुलग्नक में राज्य परिषद को ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर 5000 रूपये के शुल्क के साथ अपील दायर कर सकता है। (2) किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल स्थापन के विरुद्ध अपील को प्रारूप एस.जी.ए. में दायर किया जायेगा और राज्य परिषद् को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रुप से प्रेषित किया जायेगा। (3) प्रत्येक अपील के साथ एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जायेगी। (4) अपील की प्राप्ति के पश्चात् राज्य परिषद् सुनवाई के लिये समय और दिनांक नियत करेगी और अपीलार्थी एवं अन्य सम्बंधित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा मामले की सुनवाई के लिये कम से कम 15 दिन का समय देते हुए उसके सम्बंध में सूचित करेगी। (5) अपीलार्थी स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकता है और अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजी सामग्री यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकता है। (6) राज्य परिषद् समस्त सम्बंधित व्यक्तियों की सुनवाई कर सकती है, उनके द्वारा प्रस्तुत सुसंगत मौखिक / दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर सकती है, अपील पर विचार कर सकती है और अपने निर्णय को अपील दायर करने के दिनांक से अधिमानतः 90 दिन के भीतर संसूचित कर सकती है। (7) यदि राज्य परिषद् यह समझती है कि मामले में अन्तरिम आदेश आवश्यक है तो यह अपील के अन्तिम निपटारे के लम्बित रहने तक ऐसा आदेश पारित कर सकती है। (8) राज्य परिषद् को प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन को, ऐसे समय तक, जैसा वह उचित समझे, रोकने का प्राधिकार होगा। (9) राज्य परिषद् का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा। (10) यदि प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध विहित समय के भीतर अर्थात् आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई अपील दायर नहीं की जाती है तो प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। (11) प्राधिकारी द्वारा एकत्रित अपील फीस को सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा राज्य परिषद् के शासकीय पदाधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाता में जमा किया जायेगा और उसका उपयोग परिषद् और प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बंधित एवं परिषद द्वारा यथा अनुमोदित कार्यकलापों के लिये किया जायेगा।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

एस.जी.ए.आर. अनुलग्नक
(नियम 20(1) देखिए)

नैदानिक स्थापन के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्रारूप

1. स्थापन / डाक्टर (एकल व्यवसायी के मामले में) का नाम..

2. पताः..
   ग्राम / नगर..............................तालुका..............................
   जिलाः....................राज्य....................पिन कोड....................
   दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित):..............................
   मोबाईल....................वेबसाइट (यदि कोई हो)..............................

3. स्वामी का नाम..
   पताः..
   ग्राम / नगर..............................तालुका..............................
   जिलाः....................राज्य....................पिन कोड....................
   दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित):..............................
   मोबाईल....................ई–मेल आई.डी..............................
   3(क) प्रभारी व्यक्ति का नाम और अर्हता :..............................

4. स्वामित्व :–
   (क) सार्वजनिक क्षेत्र : ☐ केन्द्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार
   ☐ स्थानीय शासन ☐ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):–
   (ख) निजी क्षेत्रः ☐ व्यष्टिक स्वामित्व–
   ☐ रजिस्ट्रीकृत भागीदारी ☐ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी ☐
   ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास / धर्मार्थ ☐
   ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):..............................

5. प्रदत्त औषधि पद्धतिः (कृपया जो भी लागू हो उसे टिक करें)
   ☐ एलोपैथी ☐ आयुर्वेद ☐ यूनानी ☐ सिद्ध ☐ होम्योपैथी
   ☐ योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा

6. प्रदत्त सेवायें :(कृपया जो भी लागू हो उसे टिक करें)

☐ अंतरंग रोगी ☐ वाह्य रोगी ☐ प्रयोगशाला/इमेजिंग सेन्टर

☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. नैदानिक सेवाओं की श्रेणी :☐ सामान्य ☐ सिंग स्पेशल्टी

☐ मल्टी स्पेशल्टी ☐ सुपर स्पेशल्टी

8. अधिष्ठान का प्रकार (कृपया जो भी लागू हो उसे टिक करें)

(क) अंतरंग रोगीः ☐ हास्पिटल ☐ नर्सिंग होम ☐ मैटरनिटी होम

☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

☐ आरोग्य आश्रम ☐ डे–केअर सेन्टर

(ख) बेड की संख्या

(ग) बाह्य रोगीः☐ एकल व्यवसायी ☐ पाली क्लीनिक

☐ उप केन्द्र ☐ फिजियो थिरैपी क्लिनिक

☐ व्यावसायिक थिरैपी ☐ इनफर्टिलिरी क्लिनिक

☐ डेंटल क्लिनिक ☐ डिस्पेंसरी

☐ डाएलिसिस सेन्टर ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) प्रयोगशालाः ☐ पैथालाजी ☐ हैमाटॉलाजी ☐ बायो केमिस्ट्री

☐ माइक्रो बायोलोजी ☐ जेनेटिक्स ☐ संग्रहण केन्द्र

☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ड.) इमेजिंग सेन्टरः कृपया विनिर्दिष्ट करें.............

विशेष निदानः कृपया विनिर्दिष्ट करें :........................

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन सभी नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मै ऊपर दी गयी विशिष्टियों में परिवर्तन के संबंध में समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को संसूचित करूंगा।

दिनांकः

प्राधिकृत हस्तारकर्ता के
हस्ताक्षर

एस.जी.ए.ए. अनुलग्नक
(नियम 21 देखिए)

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति

नैदानिक स्थापन के अनन्तिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति/नवीकरण के लिए..... ....(स्वामी का नाम एवं पता) द्वारा प्रपत्र..............................में प्रस्तुत आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दिनांक ....को प्राप्त किया गया और उसे पूर्ण पाया गया।

या

अपूर्ण पाया गया।

यह अभिस्वीकृति रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति/नवीकरण के संबंध में आवेदक को कोई अधिकार नहीं प्रदान करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम

मुहर

निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम
स्थान व दिनांक

एस.जी.एफ. अनुलग्नक
(नियम 24 और 25 देखिए)
प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	शहरी		ग्रामीण		मेट्रो	
	अनंतिम	स्थायी	अनन्तिम	स्थायी	अनन्तिम	स्थायी
वाह्य रोगी देखभाल	100	500	50	250	200	1000
अंतरंग रोगी देखभाल						
1 से 30 बेड	100	500	50	250	200	1000
30 से 100 बेड	200	1000	100	500	400	2000
100 बेड से ऊपर	300	1500	150	650	600	3000
परीक्षण और निदान						
प्रयोगशालाएं	200	1000	100	500	400	2000
निदान एवं इमेजिंग सेन्टर	300	1500	150	650	600	3000

अन्य फीस :–

- नवीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फीस (अनन्तिम/स्थायी) की धनराशि का आधा
- विलम्ब से प्राप्त आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (अनन्तिम/स्थायी) की धनराशि की दो गुना होगी।
- प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति के लिए धनराशि 200 रूपये होगी।
- स्थापन के स्वामित्व, प्रबंधन या नाम के परिवर्तन के लिए धनराशि 100 रुपये होगी।
- किसी अपील के लिए धनराशि 100 रुपये होगी।
- यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र वाह्य रोगी/अंतरंग रोगी की देखभाल की व्यवस्था करने वाले किसी स्थापन का अंग हो तो उसके लिए पृथक रूप से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

एस.जी.आर. अनुलग्नक
(नियम 22(1) देखिए)
अनन्तिम प्रमाण–पत्र

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिये

अनन्तिम रजिस्ट्रेशन संख्या:
जारी होने का दिनांक:
वैधता की अवधि:

1– नैदानिक स्थापन का नाम..

2– पता:..

3– नैदानिक स्थापन का स्वामी...

4– प्रभारी व्यक्ति का नाम...

5– औषधि की पद्धति...

6– स्थापन का प्रकार..

उपरोक्त नैदानिक स्थापन को एतद्द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन है।

निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम
स्थान और दिनांक :

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण
पता:
फ़ोन नम्बर, शिकायत की स्थिति में।

अनुलग्नक एस.जी.ओ.
(नियम 26 और 27 देखिए)
अनन्तिम प्रमाण–पत्र

आपत्ति फाइल करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति का संप्रदर्शन

मैं,..............................नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 के अधीन प्राधिकारी होने की हैसियत से धारा 24 के अधीन..से......................तक की अवधि दौरान प्राप्त आवेदनों पर विचार करने व नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 के उपबंधों और तद्धीन बंनाये गये नैदानिक स्थापन नियम, 2011 का समाधान कर लेने के पश्चात एतद्द्वारा जिला..की अधिकारिता के भीतर नैदानिक स्थापन की सूची प्रकाशित करता हूँ।

क्रम सं0	नैदानिक स्थापन का नाम, पता सहित	स्वामित्व / प्रकार	औषधि की पद्धति	दिनांक जब आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था।	श्रेणी और मानक जिसका अनुपालन किया गया

प्रकाशित सूची के संबंध में आपत्तियॉ, यदि कोई हो..............................(प्राधिकारी का पता) को लिखित रूप में दो प्रतियों में इस अधिसूचना के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 26 के अपेक्षानुसार सम्बोधित की जाय।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
नाम
(प्राधिकारी की मुहर)

एस.जी.आई.आर.

(नियम 31(4) देखिए)

निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इंगित प्रारूप

किये गये निरीक्षण की संख्या, दिनांक सहित

निरीक्षण टीम के सदस्यों का नाम और विवरण

निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का नाम

निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का पता और सम्पर्क का विवरण

निरीक्षण के लिए अनुसरण की गई प्रक्रिया (अर्थात कृपया उल्लिखित करें कि किससे सम्पर्क किया गया, किन अभिलेखों का परीक्षण किया गया आदि)..

मुख्य प्रेक्षण / परिणाम

निष्कर्ष

विनिर्दिष्ट संस्तुतियां

(1) नैदानिक स्थापन को

(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को

निरीक्षण टीम के सदस्यों में मतैक्य के अभाव की दशा में कृपया इसको इंगित किया जाय।

दिनांक :   (निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों के) हस्ताक्षर

स्थानः

एस.जी.ए. अनुलग्नक
(नियम 33(1) देखिए)
अपील के लिए आवेदन

सेवा में,
राज्य परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।

महोदय,

मैं,..का डा0.. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था/ .... पर स्थित अपने...के लिये नैदानिक स्थापन, अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या......................................के साथ बैध लाइसेंस धारक हूँ। मुझे पत्र संख्या........ दिनांक........................के माध्यम से जिला प्राधिकारी द्वारां मुझे निम्नवत् संसूचित किया गया है:

(एक) यह कि मेरा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है

(दो) यह कि मेरा रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर दिया गया है

(तीन)यह क़ि मुझे नैदानिक स्थापन संचालन के कार्य को जारी रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(चार) यह कि मुझ पर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए शास्ति लगायी गई है।

(पॉच) कोई अन्य आरोप

जिला प्राधिकारी का उपर्युक्त निर्णय वैध नहीं प्रतीत होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि नीचे उल्लिखित औचित्य के अनुसार मेरे आवेदन–पत्र पर विचार करें,

एक)...

दो)...

तीन).. .

मैं व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, यदि आवश्यक हो आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए इच्छुक हूँ। मैं इसके साथ रूपये 1000/– का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ।

सधन्यवाद,

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक: नाम

परिशिष्ट–1

चिकित्सा अभिलेख के लिए प्रारूप
(नियम 30(1) देखिए)

रोगी का नाम :

आयु :

लिंग :

पता :

व्यवसाय :

प्रथम निरीक्षण का दिनांक :

मामले की (संक्षिप्त) नैदानिक टिप्पणी :

अनन्तिम निदान :

जाँच, जिसकी सलाह दी गयी, रिपोर्ट सहित :

जॉच के पश्चात् निदान :

सलाह :

अनुवर्तन :

दिनांक :

प्रेक्षण :

पूर्ण हस्ताक्षर :

उपचार करने वाले चिकित्सक का नाम

अनुलग्नक–2
(नियम 30(3) देखिए)

अवकाश या विस्तारण या अवकाश के सम्प्रेषण और स्वस्थता के लिए संस्तुत प्रमाण–पत्र के लिए

रोगी का हस्ताक्षर

या अंगूठा निशानी..

सरकारी चिकित्सा परिचर या चिकित्सा व्यवसायी की उपस्थिति में आवेदक द्वारा भरा जाय।

पहचान चिन्ह :–

क–.............................

ख–...........................

मैं, डा0...................................मामले का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूॅं कि ....जिसका हस्ताक्षर ऊपर अंकित है.........................से पीड़ित है और मेरी राय है कि उनके पुनः स्वस्थ होने के लिए दिनांक ....से ....के कार्यभार से मुक्त रहने की नितान्त आवश्यक है।

मैं, डा0 ....मामले का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूॅ कि वे पुनः स्वस्थ्य हो जाने पर कार्य–भार ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं।

चिकित्सा परिचर का हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण संख्या.................

(भारतीय चिकित्सा परिषद्/ ....राज्य का राज्य चिकित्सा परिषद्)

<u>अधिसूचना</u>

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या-2375/पाँच-6-2021

लखनऊ दिनांक: 16 सितम्बर, 2021

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23, सन् 2010) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नानुसार "राज्य नैदानिक स्थापन परिषद" का गठन करती हैं:-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष (पदेन)
2.	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	सचिव (पदेन)
3.	निदेशक, आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
4.	निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
5.	निदेशक, यूनानी, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
6	निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले एक-एक प्रतिनिधि	
	(एक) भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद	सदस्य
	(दो) भारतीय राज्य दन्त चिकित्सा परिषद	सदस्य
	(तीन) भारतीय राज्य नर्स परिषद	सदस्य
	(चार) भारतीय राज्य भेषज परिषद	सदस्य

7. आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के प्रतिनिधित्व वाली भारतीय चिकित्सा की राज्य परिषद की कार्यकारिणी द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले 03 प्रतिनिधि।
8. भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि
9. पैरामेडिकल प्रणाली की श्रेणी का एक प्रतिनिधि
10. स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों से 02 प्रतिनिधि

2- राज्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, किन्तु वे अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

3- राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष के लिए पदधारण करेगें, किन्तु ये पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।

परन्तु यह कि यथास्थिति नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति उस अवधि तक के लिए पद धारण करेगा, जब तक उस पद को वह धारण करता है, जिसके आधार पर वह राज्य परिषद में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित हुआ था।

आज्ञा से,

16.9.21

(अमित मोहन प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव।

अधिसूचना

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या-2374/पाँच-6-2021

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2021

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23 सन् 2010) की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जिले के लिए निम्नानुसार एक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करती हैं:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्साधिकारी	संयोजक
3.	यथास्थिति नगर पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या उसका नाम निर्देशिती, जैसाकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय।	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी	सदस्य
5.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी वृत्तिक चिकित्सा संघ या निकाय का एक प्रतिनिधि, जिसकी उपस्थिति अधिमानतः यथास्थिति जिला या राज्य के भीतर हो।	सदस्य

2- जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के नामनिर्दिष्ट सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगे।

आज्ञा से,

16.9.21

(अमित मोहन प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-298 /2021/2777/पॉच-6-2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।	**(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**	**(3) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 22 नवम्बर, 2021**

विषय:- The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद द्वारा नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये मानकों को विकसित किया गया है जिसका विवरण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट** www.clinicalestablishments.gov.in **पर उपलब्ध है। अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना सं0-2374/पॉच-6-2021, दिनांक 16 सितम्बर,** 2021 **द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण तथा अधिसूचना संख्या-2375/पॉच-6-2021, दिनांक 16 सितम्बर,** 2021 **द्वारा राज्य नैदानिक स्थापन परिषद के गठन के आदेश निर्गत किये जा चुके है किन्तु अभी तक** The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।**

2- अत: इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-**

(1) नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था दिनांक 31.12.2021 के पश्चात लागू नहीं रहेगी। दिनांक 01.01.2022 से सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।**

(2) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण की वैधता दिनांक 31.03.2022 को स्वत: समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी नैदानिक स्थापनों को दिनांक 31.03.2022 से पूर्व अपना रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 **के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा।**

(3) इस प्रयोजनार्थ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित पोर्टल में यथा आवश्यकता सुधार/संशोधन तत्काल करा लिया जायेगा और दिनांक 15.12.2021

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

से सम्बन्धित पोर्टल पर नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण हेतु आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

(4) इस हेतु सुसंगत नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण तथा राज्य परिषद का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में दिनांक 15.12.2021 से पूर्व अनिवार्य रूप से खुलवा लिया जाय जिससे रजिस्ट्रीकरण /अपील हेतु अपेक्षित धनराशि उक्त खाते में जमा की जा सके।

(5) इस हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कराते हुए सभी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों का दिनांक-15.12.2021 से पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाएगा।

(6) उपरोक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए जिससे सभी सम्बन्धित व्यक्ति/नैदानिक स्थापन उक्त व्यवस्था से भली-भाँति अवगत हो जाएँ तथा समयान्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कर सके।

(7) नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा विकसित मानकों के आधार पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। 30 बेड से कम क्षमता वाले नैदानिक स्थापनों की परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल उनका रजिस्ट्रीकरण जनशक्ति, अग्निशमन तथा बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम से सम्बन्धित मानको के पूर्ण होने पर किया जायेगा। 30 व 30 से अधिक शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद द्वारा विकसित सभी मानक लागू होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-298/2021/2777(1)/पांच-6-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ।
8. निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. निदेशक (उपचार), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।